अतारांकित प्रश्न संख्या :—164

विभाग का नाम :—श्रम विभाग, दिल्ली सरकार, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-54

विभाग का पता :—5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054

दिनाक :—18 / 12 / 2023

प्र नकर्ता का नाम :— श्री श्श्री भावना गौर

क्यामाननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

प्रश्न	उत्तर
क)मार्च 2015 से पालम विधान सभा क्षेत्र में जारी श्रमिक कार्डो की संख्या नाम व पते के अनुसार बताये.	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जिला अनुसार लेबर कार्ड बनाए जाते हैं, विधानसभावार नहीं ।
ख)श्रमिक कार्ड जारी करने के लिये अपनाई जाने वाली पद्दति एवम अपेक्षित दस्तावेजो का पूरा ब्यौरा बताये; और	श्रमिक कार्ड जारी करने के लिये अपनाई जाने वाली पद्दति एवम अपेक्षित दस्तावेजो का पूरा ब्यौरा संलगन है।
ग)दिल्ली सरकार द्वारा संचालित श्रमिको के लिये कभी कल्याणकारी योजनाओ का पूर्ण ब्योरा दीजिये?	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओ का ब्योरा संलगन है।

हस्ताक्षर

(अरुण कुमार झा)

Following are the steps for new registration as construction workers

Step 1-Citizen worker visit web portal for doing new registration as construction workers.

Web portal link- https://dbocwwb.delhi.gov.in/

Step 2-Click the new registration button to open new registration page of application.

Step 3- After entering all details in registration page, click on "REGISTER" button. It will open registration page of construction workers.-

Registration Page has following fields:

Page 1-Basic Personnel Details

Page 2- Details of Work Place

Page 3-Family & Nomination Detail

Page 4- Bank Detail

Page 5- Union Membership Detail

Page 6- Member with any other State Board

Page 7 –Supporting Documents

Page 8 –Affidavit of the Applicant

Page 9-Application Preview

Page 10-Payment

Page 11– Acknowledgement-After payment is made, worker should click submit button. After submitting OTP is generated, which applicant received on his registered mobile number and email ID. After submitting OTP an Acknowledgement slip is generated and worker gets confirmation through SMS and Mail as well.

After tele- verification, action deemed fit is taken by the registering authority and if the application is approved by concerned Authority, Digital certificate is issued.

List of Documents Required for new registration-

Documents to be attached with the Registration as Construction worker application form:

1. Applicant Photo with live Video
2. Employment Certificate of 90 days
3. Self-Attested Aadhar Card
4. Present Address Proof
5. Date of Birth Proof
6. Bank Account Proof

क्र.	लाभ/सहायता का नाम	पात्रता	सहायता राशि (Rs.)
1	मातृत्व लाभ (नियम-271)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	रु. 30,000/- महिला पंजीकृत श्रमिकों व पुरुष पंजीकृत श्रमिकों की पत्नियों के लिए उपरोक्त लाभ केवल पहले दो बच्चों को दिया जाएगा, बशर्ते कि प्रसव अस्पताल/नर्सिंग होम में हो।
2	गर्भावस्था खतम / गर्भपात हो जाने पर (नियम-271(A))	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	रु. 3,000/-, महिला पंजीकृत श्रमिकों व पुरुष पंजीकृत श्रमिकों की पत्नियों के लिए
3	वृद्धावस्था पेंशन (नियम-273)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से 3 वर्ष के बाद लाभ पाने के पात्र	रु. 3000/- हर महीना, 60 वर्ष की उम्र पूरे होने पर। हर साल पेंशन में रु. 300/- की वृद्धि।
4	मकान की खरीद/निर्माण के लिए सहायता (नियम-274)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से 3 वर्ष के बाद लाभ पाने के पात्र	रु. 3,00,000/- : सदस्य की सेवानिवृति में 10 वर्ष का समय बाकि हो रु. 5,00,000/- : सदस्य की सेवानिवृति में वर्ष का 15 समय बाकी हो
5	विकलांग होने पर पेंशन लाभ(नियम-275)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	रु. 3,000/- हर महीना, उनके लिए जो टी.बी. पक्षाघात, लेप्रोसी या दुर्घटना वश स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं
6	स्थायी रूप से विकलांग होने पर, सहायता राशि (नियम-275)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	रु. 1,00,000/-, स्थायी रूप से विकलांगता की स्थिति में और बाकी मामलों में राशि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के अनुसार विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार पंजीकृत पुरुष/महिला सदस्य को।
7	काम से जुड़े औज़ार खरीदने के लिए उधार (नियम-276)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से 1 वर्ष के बाद लाभ पाने के पात्र	रु. 20,000/-, पंजीकृत पुरुष/महिला सदस्य को, जिनकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा नहीं हो
8	काम से जुड़े औज़ार खरीदने के लिए सहायता(नियम-276-A)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से 3 वर्ष के बाद लाभ पाने के पात्र	रु. 5,000/- पंजीकृत पुरुष/महिला सदस्य को 5 वर्ष मे एक बार
9	अंतिम संस्कार के लिए सहायता (नियम-277)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	रु. 10,000/-, पंजीकृत महिला/ पुरुष निर्माण श्रमिक के नामित को
10	निर्माण श्रमिक के मृत्यु पर सहायता (नियम-278)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	रु. 1,00,000/- : अगर प्राकृतिक मृत्यु हो रु. 2,00,000/- : अगर दुर्घटना वश मृत्यु हो

11	मेडिकल खर्चों के लिए सहायता लाभ (नियम-280)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	रु. 2,000/- अस्पताल में पहले 5 दिन भर्ती रहने पर रु. 200/- हर दिन, पाँच दिनों के बाद – रु. 10,000/- अधिकतम
12	शिक्षा सहायता (नियम-281)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	रु. 500/- हर महीना (Class 1 to 8) रु. 700/- हर महीना (Class 9 to 10) रु. 1,000/- हर महीना (Class 11 to 12)
		निधि का सदस्य बनने की तिथि से 1 वर्ष के बाद लाभ पाने के पात्र	रु. 3,000/- हर महीना (Graduation level) स्नातक स्तर रु. 4,000/- हर महीना (ITI Course) रु. 4,000/- हर महीना (5 Years LLB Course) रु. 3,000/- हर महीना (L LB 3 years Course) रु. 5,000/- हर महीना (Polytechnic Diploma) रु. 10,000/- हर महीना(Technical Course) जैसे इंजिनीअरिंग, मेडिकल, MBA) दूरस्थ शिक्षा / ओपन लर्निंग स्कूल / कॉलेज / / प्राइवेट अध्ययन / और मान्यता प्राप्त स्कूल / कॉलेज / संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सन्दर्भ में – नियमित अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत। यह वित्तीय सहायता किसी भी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार दी जाएगी। विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या XLIII में पंजीकृत निर्माण श्रमिक का शपथ पत्र दाखिल करना। एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली छावनी के स्कूलों सहित स्कूलों को छूट दी गई है।
13	शादी के लिए लाभ (नियम-282)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से 3 वर्ष के बाद लाभ पाने के पात्र	रु. 51,000/ पंजीकृतमहिला निर्माण श्रमिक/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बेटी की शादी रु. 35,000/- पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिक / पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बेटे की शादी
14	परिवार के लिए पेंशन(नियम-283)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से 1 वर्ष के बाद लाभ पाने के पात्र	पेंशन की राशि पेंशनभोगी पंजीकृत पुरुष/महिला सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को निर्धारित पेंशन का 50% या रु. 1,500/- जो भी अधिक हो
15	DTC NON-AC बसों में फ्री यात्रा पास (नियम -283(C)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	Non-AC DTC बस के लिए रु. 2400/- प्रति तीन माह का पास प्रदान किया जाता है।

16	पंजीकृत श्रमिको व उनके परिवार के सदस्यो को व्यवसायिक **पशिक्षण** प्रदान करना (नियम 283(A) पंजीकृत श्रमिको व उनके परिवार के सदस्यो के कौ ाल विकास के लिए निर्माण अकादमी की स्थापना करना (नियम 283(A)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	---------------
17	स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ (नियम -286)	निधि का सदस्य बनने की तिथि से लाभ पाने के पात्र	---------------